मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. संख्या २०५/२०१९
१. श्रीमती बबली पत्नी स्व. मुन्ना लाल उम्र लगभग ३८ वर्ष
२. कु. सोनम पुत्री स्व. मुन्ना लाल आयु २० वर्ष
३. कु. रीना पुत्री स्व. मुन्ना लाल आयु लगभग १७ वर्ष
४. कु. रक्षा पुत्री स्व. मुन्ना लाल आयु १५ वर्ष
५. कृष्ण पुत्र स्व. स्व. मुन्ना लाल आयु लगभग ११ वर्ष
नाबालिगान जरिये संरक्षिका श्रीमती बबली पत्नी स्व. मुन्ना लाल
समस्त निवासीगण ग्राम अमरा थाना मोंठ जिला झाँसी

---- याचीगण

प्रति

१. आशीष इण्टर प्राईजेज प्रो.आशीष गुप्ता पुत्र राम प्रकाश गुप्ता निवासी ४७२ सी.एम. विद्यालय के पास डड़ियापुरा शिवाजी नगर, झाँसी

........मालिक ट्रक सं. यू.पी.९३ बी टी ७५१३

२. छोटे सिंह पुत्र श्री राम पाल निवासी नगसिया थाना वेवराहट कोतवाली भोगनीपुर जिला कानपुर देहात

........चालक ट्रक सं. यू.पी.९३ बी टी ७५१३

३. चोला मण्डलम एम.एस. जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लिमिटेड प्रथम तल एस.बी.आई.बिल्डिंग सी १९/४०-१ फतमान रोड सिंगरा वाराणसी-२२१००२

........बीमाकर्ता ट्रक सं. यू.पी.९३ बी टी ७५१३

---- विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री बलवीर पाली
विपक्षी सं.२ बीमा कम्पनी के अधिवक्ता- श्री सुनील शुक्ला
<u>०३.०३.२०२१</u>

पत्रावली पेश हुयी। याचीगण श्रीमती बबली, कु. रीना, कु. रक्षा एवं कृष्ण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित व कु. सोनम जरिये वाट्सएप उपस्थित। विपक्षी सं.३ चोला मण्डलम एम.एस. जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध कथित मोटर वाहन दुर्घटना में अपने पति व पिता मुन्ना लाल की मृत्यु के कारण ₹५२,५०,००० प्रतिकर धनराशि मय ब्याज दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है। याचीगण एवं विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी की ओर से १५बी सुलहनामा दाखिल किया गया है, जो आज उनके विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को १५बी सुलहनामा पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। याचीगण व विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा १५बी उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है, जिसकी पुष्टि उभय पक्ष द्वारा की गई है। १५बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में **₹८,००,०००** याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। याचीगण सुलहनामा १५बी में दर्शित कुल **₹८,००,०००** प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा १५बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचीगण की याचिका सुलहनामा १५बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा १५बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं.३ चोला मण्डलम एम.एस. जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को इस निर्णय/आदेश के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि **₹८,००,००० (आठ लाख)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी के खाता सं.३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.सी.कोड सं. PUNB ०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा यू.टी.आर. नम्बर/रिफरेंस नंम्बर/ट्रांजैक्शन नम्बर की सूचना इस न्यायाधिकरण के कार्यालय भेजी जावेगी।

उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण सं.१ लगायत ५ पत्नी, पुत्र व पुत्रियाँ हैं अतः वे क्रमशः ३०, १५, १५, २० व २० भाग प्राप्त करेंगे। याचीगण सं.४ व ५ अवयस्कगण को प्राप्त होने वाली प्रतिकर धनराशि उनके नाम जरिये संरक्षिका माँ श्रीमती बबली किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एन्युटी योजना में तीन वर्ष तक के लिये निवेशित की जाएगी। कु. रीना वर्तमान में वयस्क हो चुकी है। याचीगण सं.१ लगायत ३ क्रमशः श्रीमती बबली, कु. सोनम व कु. रीना को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर की धनराशि में से उक्त प्रत्येक याची के नाम ७५-७५ प्रतिशत भाग की ३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जावेगी तथा उक्त प्रत्येक याचीगण की शेष २५-२५ प्रतिशत भाग की धनराशि याचीगण अपने बैंक खाते में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नकद प्राप्त कर सकेंगे।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.03.03 17:41:05 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi